मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक बी–8–13/2007/14–2 भोपाल,दिनांक 31.
5.2007

आदेश क्रमांक–4 कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनीमिशन–2

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (समस्त)
3. आंचलिक प्रबंधक (समस्त) कृ.ज.क्षे. परियोजना मध्यप्रदेश
4. उप संचालक कृषि, (समस्त) मध्यप्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत (मध्यप्रदेश)
6. अनुविभागीय कृषि अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश
7. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, (समस्त) विकासखण्ड, मध्यप्रदेश

विषयः– **कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनीमिशन–2 के अंतर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन के मार्गदर्शी निर्देश (2006–2007)**

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा क्रियान्वित केन्द्र प्रवर्तित कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनीमिशन–2 के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लये मार्गदर्शी निर्देश क्रमांक बी–1–5/2001/14–2 भोपाल, दिनांक 14.09.2006 द्वारा जारी आदेश को अधिक्रमित किया जाता है।

2. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज के अंतर्गत ग्राम सभाओं की व्यवस्था प्रत्येक गांव में की गयी है। ग्राम सभाओं की भागीदारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संबंधी कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

3. कार्यक्रम का विवरण

3.1 यह कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित है। इस कार्यक्रम का उद्धेश्य मध्यप्रदेश में कपास के उत्पादन एवं उत्पादकता एवं क्षेत्र में वृद्धि करना है। इस

कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी जानकारियाँ कृषकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न घटको में अनुदान/ सहायता का प्रावधान है।

3.2 कार्यक्रम में कपास फसल सम्मिलित की गई है।

4. कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र

यह कार्यक्रम प्रदेश के चयनित 14 जिलो में धार, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, सीहोर, बैतूल, हरदा में क्रियान्वित किया जावेगा।

5. कार्यक्रम के घटक

कार्यक्रम के घटको को क्रियान्वयन हेतु दो श्रेणियों में रखा गया है।

5.1 जिन घटको के क्रियान्वयन में जिला पंचायत की भूमिका रहेगी वे निम्नानुसार है :—

1. कृषक खेत पाठशाला
2. रसायनों से बीजोपचार
3. फरोमेन ट्रेप/ लाइट ट्रेप
4. बयोएजेन्ट/ बायोपेस्टी साइड
5. पौध संरक्षण यंत्र
6. स्प्रिंकलर सेट
7. टपक (ड्रिप) सिंचाई
8. कृषि यंत्रो पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन

5.2 जिन घटको का क्रियान्वयन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशो पर उप संचालक कृषि सीधे करेगें वे निम्नानुसार है :—

1. प्रजनक बीज की आपूर्ति
2. आधार बीज उत्पादन
3. प्रमाणित बीज उत्पादन
4. प्रमाणित बीज
5. सीड डिलिंटिंग प्लांट की स्थापना
6. सीजन लॉंग प्रशिक्षण
7. बायोएजेन्ट लेब की स्थापना/सुदृढीकरण (शासकीय/निजी)
8. सर्वेलेन्स पेस्ट एण्ड डिसीजेज (कीट व्याधि सर्वेक्षण)

9. राज्य स्तरीय प्रशिक्षको को प्रशिक्षण
10. इलैक्ट्रोनिक/ प्रिंट मीडिया एवं अन्य
11. नैमेत्तिक व्यय

6. वित्तीय व्यवस्था

- संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिले के उप संचालक कृषि को कार्यक्रम क्रियान्चयन के लिये वित्तीय मदों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप आवंटन जारी करेंगे।

- प्रत्येक घटक में वित्तीय प्रावधान की सीमा तक जिला स्तर पर भौतिक लक्ष्य उपलब्ध आवंटन के आधार पर परिवर्तित किये जा सकते है।

- बीज घटक को छोड़कर कार्यक्रम में निर्धारित घटकवार प्रावधान का एक घटक से दूसरे घटक में विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

- उप संचालक कृषि घटकवार राशि का व्यय जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन उपरांत ही करेंगे।

- उप संचालक कृषि व्यय पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभागएवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रति माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भजेंगे।

- उप संचालक कृषि विभागीय मद में प्रापत आवंटन का व्यय पंचायत मद में तथा पंचायत मद में प्राप्त आवंटन का व्यय विभागीय मद में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों क अनुरूप आवश्यकतानुसार कर सकेगे।

7. लक्ष्यों का निर्धारण

7.1 संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कार्यक्रम में प्रावधान अनुसार जिले के लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों की संख्या विगत वर्षो की प्रगति एवं जिलों की मांग को ध्यान मे रखकर जिले के लिये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करेगें।

7.2 जिला पंचायत

- उप संचालक कृषि लघु सीमांत, अ.जा./अ.ज.जा. के कृषकों की संख्या एवं पूर्व वर्षो की प्रगति के आधार पर लक्ष्यों का विभाजन विकासखण्डवार करेंगे, तथा इसका अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से करायेगे।

- लक्ष्यों के विभाजन एवं अनुमोदन उपरांत सूचना अनुविभागीय कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को देगें।

- कार्यक्रम में सम्मिलित घटकों के लिये हितग्राही चयन की प्रक्रिया तथा निर्णय जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जाये, तब भी कार्यक्रम की विशिष्टता को ध्यान मे रखते हुये विभिन्न विकास खंडों के बीच लक्ष्य एवं हितग्राही संख्या का विभाजन किया जाना चाहिए। इस हेतु सम्पूर्ण लक्ष्य विभाजन प्रक्रिया एवं हितग्राही चयन प्रक्रिया की पूरी स्कीम तैयार कर अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी उप संचालक कृषि की होगी।

- जिला पंचायत स्तर से क्रियान्वित हाने वाले घटकों में ''प्रथम आवे प्रथम पावे'' के सिद्धांत का पालन ऐसे घटकों के लिये किया जावे जिनमें प्रावधान कम हो।

- उप संचालक कृषि द्वारा विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारण की सूचना दिये जाने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लक्ष्यों को ग्रामों के बीच (जहां आवश्यक हो क्लस्टरो का चयन कर) बांटेंगे। विकासखण्डवार निर्धारित लक्ष्य की सूचना उप संचालक कृषि द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को दी जावेगी। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा इसकी सूचना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दी जावेगी।

- हितग्राहियों का वास्तविक चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से होगा इस हेतु उस ग्राम के लिये निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2005–06 के आधार पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चयन करायेंगे।

7.3 जनपद पंचायत

- ऐसे घटक जिनमें हितग्राही संख्या अधिक है तथा जिनका क्रियान्वयन ग्राम स्तर पर किया जाना है, उनमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त

लक्ष्यों का विभाजन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीवार करेंगे तथा इसका अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करेंगे।

- लक्ष्यों के निर्धारण की सूचना ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दी जावेगी।

7.4 ग्राम सभा

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन अपने कार्यक्षेत्र में ग्राम सभावार करेंगे।

- लक्ष्यों का विभाजन उन गाँव में प्राथमिकता पर किया जावे जहां इस कार्यक्रम से कृषक पूर्व वर्षो में लाभान्वित न हुये हो।

- हितग्राहियों का चयन लक्ष्य से दो–गुनी संख्या में किया जावे तथा हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करें।

- ग्राम सभा से प्राप्त अनुमोदित सूची ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इस तरह तैयार एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची वरीयता के आधार पर तैयार कर जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदित करायेंगे। अनुमोदित सूची उप संचालक कृषि को सूचनार्थ भेजेगे।

- इस अनुमोदित सूची से कार्यक्रम का कार्यान्वयन होगा। यह सूची तब तक मान्य एवं अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावी रहेगी जब तक उसमें शामिल सभी नामों पर स्वीकृति न हो जाये अथवा अगले वर्ष की सूची इसी प्रक्रिया से तैयार न हो जाये, जो भी पहले हो।

- हितग्राही का अनुमोदन केवल एक स्तर की पंचायत द्वारा किया जावे। इसमें किसी स्तर की पंचायत को फेरबदल का अधिकारी नहीं होगा।

8. घटकवार हितग्राही चयन अनुमोदन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया

8.1 कृषक खेत पाठशाला

8.1.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

- लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- कृषक खेत पाठशाला के लिए ऐसे गांवो का चयन किया जावे जहाँ कीटनाशको का अधिक प्रयोग किया जाता हो।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विगत वर्ष से दो गुना हितग्राहियों की सूची ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति की सहमति से तैयार करेगें।
- पूर्व वर्षो में लाभान्वित गांवों का नाम सूची में शामिल न किये जावे।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति से सूची अनुमोदित कराकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगे।
- वरीयता सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु सीमान्य कृषकों के नाम सबसे ऊपर रहेंगे तथा सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेगें। अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरीयता दी जावे। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगें।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनुमोदित सूची अनुसार कार्यक्रम सम्पादित करेंगे।
- लक्ष्य कम होने की स्थिति में ग्राम सभा से अनुमोदित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उप संचालक कृषि को अग्रेषित की जावेगी। उप संचालक कृषि सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेंगे।
- प्रतीक्षा सूची तब तक मान्य रहेगी जब तक नई सूची का अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा नहीं किया जाता।

8.1.2 क्रियान्वयन

- दो प्रशिक्षक जिनके द्वारा टी.ओ.एफ. प्रशिक्षण लिया गया हो, के द्वारा चार कृषक खेत पाठशाला का संचालन किया जावेगा।

- ग्राम के 30 कृषकों का चयन किया जावेगा।

- चयनित कृषको मे से किसी एक कृषक के दो एकड क्षेत्र का चयन कर उत्पादन एवं संरक्षण का प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जावे।

- यह प्रशिक्षण क्षेत्र आधारित, खोज आधारित, करके सीखना एवं सहयोगात्मक होगा।

- कृषक खेत मे आयोजित प्रयोग एवं ट्रायल्स का तुलनात्मक अध्ययन कर सीखेंगे।

- प्रशिक्षण स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होगे।

- कृषक खेत पाठशाला के कुल 20 सत्र होंगे। जिसमें प्रथम 16 सत्र साप्ताहिक, शेष 4 सत्र पाक्षिक होंगे।

- फसल की बोनी के पूर्व से फसल मौसम तक पाठशाला आयोजित की जावेगी।
- पाठशाला का दिन एवं समय कृषकों की सहमति से निर्धारित किया जावे।

- विकासखण्ड स्तरीय दल, प्रशिक्षण से पूर्व प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर चयनित कृषकों को एकत्रित करेगे।

- चयनित कृषकों के अतिरिक्त गाँव के अन्य कृषकों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

- कृषक खेत पाठशाला के लिए चयनित कृषकों को एक आई.पी.एम. किट प्रदाय किया जावेगा।

- उपसंचालक कृषि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आदान सामग्री जिला विपणन अधिकारी, एम.पी.एग्रो के माध्यम से अनुमोदित दरों पर प्राप्त करेगे।

- कृषक खेत पाठशाला की एग्रो –इको–सिस्टम–एनीलिसिस का प्रमुख गतिविधि होगी जिसके आधार पर कृषक फसल प्रबंधन के निर्णय ले सकेंगे।

- कृषक खेत पाठशाला का आइटमवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	राशि (रू.)
1.	2 फसीलिटेटर हेतु रू. 75.00 प्रति पाठशाला/ फैसीलिटेटर की दर से 20 सत्रो हेतु	3000.00
2.	पाठशाला के प्रशिक्षण हेतु साहित्य की आपूर्ति	4000.00
3.	चाय नाश्ता रू. 10.00 प्रति पार्टीशिपेन्ट प्रति पाठशाला की दर से 20 सत्रो हेतु	6000.00
4.	फील्ड डे/ अन्य व्यय	4000.00
	योग	**17000.00**

- अनुदान/सहायता परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

8.2 रसायनो से बीजोपचार

8.2.1 लक्ष्यों का निर्धारण
कंडिका–7 के अनुसार

8.2.2 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विगत वर्ष से दो गुना हितग्राहियों की सूची ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति की सहमति से तैयार करेगें।

- पूर्व वर्षो में लाभान्वित कृषकों के नाम सूची में शामिल न किये जावे।

- वरीयता सूची में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु, सीमांत, कृषकों के नाम सबसे ऊपर रहेंगे।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति से सूची अनुमोदित कराकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेगें। अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरीयता दी जावे। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगें।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनुमोदित सूची अनुसार कार्यक्रम सम्पादित करेंगे।

- लक्ष्य कम होने की सिथति में ग्राम सभा से अनुमोदित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उप संचालक कृषि को अग्रेषित की जावेगी। उप संचालक कृषि सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेंगे।

- प्रतीक्षा सूची तब तक मान्य रहेगी जब तक नई सूची का अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा नहीं किया जाता।

8.2.3 क्रियान्वयन

- कपास बिल्ट के आर्गेनिज्म से सुरक्षा के लिए कपास बीज का रसायनो जैसे– स्ट्रेप्टोमायसिन, वांविस्टीन, थायरम, ट्रायकोडर्मा एवं कीटनाशी आदि से बजोपचार करना आवश्यक है।

- रस चूसक कीटो के प्रति सहनशील किस्मो को बीजोपचार करने से जैसिड का प्रकोप, कपास लीफ कर्ल वायरस से सुरक्षित करने के साथ–साथ छिड़काव की अवधि कम की जा सकती है।

- बीजोपचार करने से कम से कम लागत से 5 से 10 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

- प्रमाणित बीजो के पैकेट्स पर स्थानीय भाषा मे उपचारित बीज का लेवल होना चाहिए।

- आर्थित सहायता परिशिष्ट–1 पर दर्शित है।

8.3 फेरोमेन ट्रेप/ लाइट ट्रेप

8.3.1 लक्ष्यों का निर्धारण

कंडिका 7 के अनुसार

8.3.2 हितग्राही का चयन एवं अनुमोदन
कंडिका 8.2.2 के अनुसार

8.3.3 क्रियान्वयन

- एक किसान को अधिकतम एक हेक्टर क्षेत्र के लिए ही दिया जावे।

- बोनी के 40–45 दिन पश्चात प्रति हेक्टर 5 फेरोमेन ट्रेप/लाइट ट्रेप लगाये जावे। फसल अवधि के दौरान 15–30 दिन उपरांत ल्यूर बदले जावे।

- फेरोमेन ट्रेप/लाइट ट्रेप की स्थापना कृषकों के खेतो में संबंधित कृषि विकास अधिकारी/ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा की जावे।

- फसल अवधि के दौरान ट्रेप में आने वाले प्रौढ़ कीटो की पहचान की जावे तथा प्रतिदिन फॅसने वाले कीटो की संख्या अभिलेख मे दर्ज की जावे।

- अनुदान/ सहायता राशि परिशिष्ट–एक पर है।

8.4 बायोएजेन्ट/बायोपेस्टी साइड वितरण

8.4.1 लक्ष्यों का निर्धारण

- केडिका–7 के अनुसार

8.4.2 हितग्राही का चयन एवं अनुमोदन

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे कृषकों का चयन करेगे जो बायो एजेन्ट का उपयोग करने मे रूचि रखते है।

- अन्य प्रक्रिया कंडिका 8.2.2 के अनुसार

8.4.3 क्रियान्वयन

- एक कृषक को अधिकतम एक हेक्टर हेतु बायो एजेन्ट उपलब्ध कराया जावे।

- बायो एजेन्ट एन.पी.व्ही, बी.टी. ट्राइकोग्रामा आदि का अनुसंशित मात्रा मे उपयोग किया जावे।

- बायो पेस्टीसाइड नीम तेल, करंज तेल आदि की अनुसंशित मात्रा मे उपयोग किया जावे।

- इस घटक के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामवार लक्ष्यों के अनुरूप ग्राम सभा की सहमति से कार्यक्रम तैयार कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगें वे इसे संकलित कर उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे।

- उप संचालक कृषि जिला स्तर पर महा प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, जिला विपणन अधिकारी तथा प्रबंधक, म0प्र0 राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के साथ बैठकर व्यवस्था सुनिश्चित करावेगे।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी समीतिवार कार्यक्रम बनाकर उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।

- उप संचालक कृषि जिला स्तर पर प्रबंधक जिला सहकारी बैंक के साथ समितिवार कार्यक्रम के अनुरूप भण्डारण सुनिश्चित करायेंगे।
- संस्थाऐ अनुदान मांग पत्रक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सत्यापन उपरांत उप संचालक कृषि को प्रेषित करेगें।

- जिन कृषकों ने बायोएजेन्ट का उपयोग किया है। ऐसे खेतो को चिन्हित किया जाये। वहां अन्य कृषकों का भ्रमण कराया जावे तथा इनकी उपयोगिता के बारे मे बताया जावे

- अनुदान/ सहायता का विवरण परिशिष्ट –एक मे दर्शित है।

8.5 पौध संरक्षण यंत्र

- हस्त चलित यंत्र
- शक्ति चलित यंत्र
- ट्रेक्टर माउन्टेड

8.5.1 लक्ष्यों का निर्धारण

- कंडिका 7 के अनुसार

8.5.2 हितग्राही चयन एवं अनुदान

- कंडिका 8.2.2 के अनुसार

8.5.3 क्रियान्वयन

- ग्राम सभा से अनुमोदित सूची के आधार पर कृषक द्वारा आवेदन में अंकित मेक का ही यंत्र प्रदाय किया जावे।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

- अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को पौध संरक्षण यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उप संचालक कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वार निर्देश जारी करेगे।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषक हिस्से की राशि संबंधित से प्राप्त कर संस्थाओं मे जमा करायेगे एवं यंत्रों के प्रदाय सुनिश्चित करेंगे।

- संबंधित संस्था वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से देयक सत्यापित कराने के उपरांत उपसंचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।

- उप संचालक कृषि भौतिक सत्यापन कराने के उपरांत अनुदान का भुगतान करेगे।

- यंत्र आई.एस.आई. मार्क का हो तथा यंत्र का मेक यंत्र पर एनग्रेव/एम्ब्रोस होना अनिवार्य है।

- यंत्रों का प्रदाय राज्य स्तरीय गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित मेक अनुसार म0प्र0राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/ म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से किया जावे।

- अनुदान/सहायता का विवरण परिशिष्ट एक में दर्शित है।

8.6 स्प्रिकलर सेट

8.6.1 लक्ष्यों का निर्धारण

- उप संचालक कृषि, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों को विकासखण्ड वार विभाजित करेंगे। इसका अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त किया जावें तथा इसकी सूचना अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को दी जावें।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीवार करेंगे तथा इसका अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करेंगे।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषकों की मांग के आधार पर ग्राम सभावार लक्ष्यों का निर्धारण कर ग्राम सभा की सहमति से दो गुना हितग्राहियों की सूची तैयार करेंगे।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों के प्रकरण दो माह के भीतर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रकरणों का पंजीयन प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर होगा।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समयावधि में अपने लक्ष्यों के अनुरूप प्रकरण प्रस्तुत नहीं कर पाते है तो अन्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों को प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर पंजीकृत किया जावे।

8.6.2 हितग्राही चयन एवं अनुदान भुगतान –

- जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की जानकारी उप संचालक कृषि द्वारा सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों व विभागीय अमले को दी जावेगी ।

- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के क्षेत्रीय अमले व्दारा विकास खंड स्तर पर विभिन्न वर्गो के हितग्राहियों की सूची लक्ष्य की तुलना में डेढ़ गुना की संख्या में तैयार की जायेगी । इस सूची का

अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा किया जावेगा । अनुमोदित सूची उप संचालक कृषि को भेजी जायेगी ।

- जिला स्तर पर पूर्व से गठित माइक्रो इरीगेशन समिति में विकासखण्ड से प्राप्त सूची का अंतिम अनुमोदन होगा एवं हितग्राहियों को इसकी लिखित सूचना दी जायेगी । यह सूची जनपद पंचायत को दी जायेगी ।
- चयनित हितग्राही जिलों में पूर्व से सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कम्पनी तथा अन्य कृषि य़ंत्रों का स्वयं पूर्ण भुगतान करने पर क्रय कर सकेंगे ।
- हितग्राही द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत इनका स्वयं क्रय किया जायेगा। क्रय कर्ताओं व्दारा बाजार में प्रचलित दर पर क्रय किया जायेगा । इनकी दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी ।
- हितग्राही द्वारा भुगतान किये गये पक्के बिल की मूल प्रति तथा क्रय प्रमाण पत्र विकास खण्ड स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का विकासखण्ड स्तरीय अमला सिस्टम की स्थापना व चालू होने का भौतिक सत्यापन करेगा एवं अनुदान राशि हितग्राही को देने की अनुशंसा उप संचालक कृषि को करेगा । बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान की अनुशंसा नहीं की जायेगी ।
- जिला स्तर पर उप संचालक द्वारा विकासखण्ड स्तर से प्राप्त अनुदान अनुशंसा सूची अनुसार अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर हितग्राही के नाम चैक व्दारा अनुदान हितग्राही के पक्ष में जारी किया जायेगा । यदि किसी विशेष कारण से यह अनुदान 30 कार्य दिवस के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उप संचालक हितग्राही को भुगतान करते समय विलम्ब के कारणों को लिखित रुप से उसे सूचित करेगा ।
- हितग्राहियों द्वारा व्यय की गई सामग्रियों में से 10 प्रतिशत सामग्री का रेण्डम आधार पर सत्यापन उप संचालक कृषि के द्वारा तथा 25 प्रतिशत सत्यापन अनुविभागीय कृषि अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
- जिले के अन्तर्गत कंपनियों का पंजीयन एवं उनके अधिकृत डीलर की जानकारी तथा मानक का निर्धारण आदि जिला स्तर पर उप संचालक कृषि के व्दारा किया जावेगा ।
- प्रत्येक कृषक को एक स्प्रिंकलर सेट के लिये अनुदान की पात्रता होगी वशर्ते उसने पूर्व में किसी भी योजना में स्प्रिंकलर सेट का लाभ नहीं लिया हों।

- महिला कृषक, भू–अभिलेख के अनुसार भूमि स्वामी होना चाहिये। अगर संयुक्त खातेदार के रूप में महिला का नाम दर्ज है तो महिला कृषक के हिस्से की भूमि के अनुरूप अनुदान की पात्रता होगी।

- कृषक के पास सिंचाई जल का स्त्रोत एवं 3 अश्वशक्ति का डीजल पम्प अथवा विद्युत पंप हो।

- पंजीयन उपरांत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रत्येक माह होने वाली जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति में प्रथम आये प्रथम पाये के सिद्धांत पर प्रकरण अनुमोदित करवाकर वितरण हेतु सूची मय प्रकरण के उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।

- बैंक ऋण पर स्प्रिंकलर सेट लेने वाले कृषकों के प्रकरण आवेदन में उल्लेखित बैंक को प्रेषित करेगें।

- बैंक से प्रकरण स्वीकृति की सूचना मिलने पर यह जानकारी प्राप्त करेगे कि कृषक कहॉ से स्प्रिंकलर सेट प्राप्त करना चाहता है। अगर कृषक पंजीकृत निजी संस्थान के माध्यम से क्रय करना चाहता है तो बैंक को सामग्री प्रदाय करवाने हेतु निर्देश दिये जावेगें।

- यदि एम.पी.एग्रो या मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ के माध्यम से स्प्रिंकलर सेट लेता है तो उसे कृषक हिस्से की राशि संस्था में जमा कराना होगी।

- स्वंय के व्यय पर क्रय करने वाले कृषकों को अनुदान पात्रता निर्धारण के आदेश जारी कर उन्हें सूचित करेगें।

- संस्थायें देयक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से अनुदान आहरण हेतु उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगी।

- जो कृषक पंजीकृत निजी संस्थाओं से स्प्रिंकलर सेट क्रय करना चाहेंगे वे उप संचालक कृषि से विधिवत् प्रकरण प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करेंगे।

- कृषक को बैंक खाता खोलना होगा ताकि बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी उप संचालक कृषि को दी जा सके।

- मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ/एम.पी.एग्रो की यह जवाबदारी होगी कि जिन कृषकों ने कृषक अंश राशि जमा कर दी है उन्हें 15 दिन के अंदर सेट प्रतिस्थापित कर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन एवं कृषक का संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे। तदानुसार उप संचालक कृषि अनुदान की राशि का आहरण कर संबंधित संस्थाओं को करेंगे।

8.6.3 तकनीकी सावधानियाँ

- सम्पूर्ण स्प्रिंकलर सेट या उसके काम्पोनेंट आई.एस.आई. मार्क का होना चाहिये।

- सम्पूर्ण स्प्रिंकलर सेट व उनके साथ प्रदाय सामग्री निर्धारित मात्रा एवं मानक स्तर की होना चाहिये।

- भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही अनुदान राशि का भुगतान होना चाहिये।

- प्रदायक संस्था या कंपनी से एक वर्ष का कार्य पश्चात् सेवा की गारंटी होना चाहिये।

- अनुदान राशि का समायोजन/भुगतान किसी भी हालत में नगद रूप में नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि बैंक खातों या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाना चाहिये।

- निर्धारित लक्ष्य से अधिक सेटो का वितरण संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिये।

- कृषक को उसकी पसंद के मेक का स्प्रिंकलर सेट उपलबध कराया जावे, बशर्ते यह मेक अनुमोदित हो।

- स्प्रिंकलर सेट का वितरण कृषि स्थायी समिति, जनपद पंचायत के मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष कराया जावे।

- आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो ग्राम के सरपंच या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।

- कृषक ने पूर्व वर्षो में किसी भी योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सेट अनुदान पर प्राप्त नहीं किया है, इसके संबंध में कृषक का घोषणा पत्र लिया जावे जो कि ग्राम पंचायत के पंच/संरपंच/ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति के सभा पति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इस घोषणा पत्र पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी का सत्यापन होना आवश्यक है।

8.7 टपक (ड्रिप) सिंचाई

8.7.1 लक्ष्यों का निर्धारण

कंडिका 8.6.1 के अनुसार

8.7.2 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

कंडिका 8.6.2 के अनुसार

8.7.3 क्रियान्वयन

- टपक सिंचाई यूनिट कपास फसल में लगायी जाना है इस हेतु पौधे से पौधे, एवं लाईन से लाईन की दूरी का ध्यान रखा जावे।

- अनुदान/सहायता परिशिष्ट–एक पर दर्शित है।

8.7.4 तकनीकी सावधानियां

- कंडिका 8.6.3 के अनुसार

8.8 उन्नत कृषि यंत्रो का अग्रपंक्ति प्रदर्शन

8.8.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

- लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विगत वर्ष से दो गुना हितग्राहियों की सूची ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति की सहमति से तैयार करेगें।

- पूर्व वर्षो में लाभान्वित कृषकों के नाम सूची में शामिल न किये जावे।

- वरीयता सूची में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु, सीमांत, कृषकों के नाम सबसे ऊपर रहेंगे।

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम सभा की कृषि की स्थायी समिति से सूची अनुमोदित कराकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेगें। अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरीयतादी जावे। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगें।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनुमोदित सूची अनुसार कार्यक्रम सम्पादित करेंगे।

- लक्ष्य कम होने की सिथति में ग्राम सभा से अनुमोदित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उप संचालक कृषि को अग्रेषित की जावेगी। उप संचालक कृषि सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेंगे।

- प्रतीक्षा सूची तब तक मान्य रहेगी जब तक नई सूची का अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा नहीं किया जाता।

8.8.2 क्रियान्वयन

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन का आकार 25 हेक्टेयर का होगा जिसमें उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग किया जावेगा। इसके साथ 1/2 हेक्टेयर का कन्ट्रोल प्लाट होगा।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन प्लाट यथासंभव सड़क के किनारे डाले जावे जिससे प्रदर्शन अधिक प्रभावी हो सके।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन निम्न उन्नत कृषि यंत्रों के किये जा सकते है :-

- **हस्त चलित** :– 1. नवीन डिवलर, 2. पैंग टाइप ड्राय लैण्ड डिवलर, 3. सिंगल व्हीलहो हो, 4. हस्त चलित नेपसेक स्प्रेयर, 5. कॉटन सीड शोर्टर, 6. कॉटर सीड डिलिंटर, 7. कपास बीजापचार ड्रम, 8. अल्ट्रा लो वाल्यूम स्प्रेयर

- **पशु चलित** :– 1. पशु चलित पटेला हैरो, 2. पशु चलित कल्टीवेटर, 3. पशु चलित काटन प्लांटर (सी.आई.सी.आर.) 4. ज्योति प्लांटर, 5. टी.एन.ए.यू. स्वीप, 6. ब्रहा पशु चलित स्प्रेयर।

- **पावर टिलर ऑपरेटिड यंत्र** :– 1. पावर टिलर चलित बीडर, 2. पावर टिलर चलित वूम स्प्रेयर।
- इंजिन चलित यंत्र :– 1. सेल्फ प्रोपेल्ड हाई क्लीयरेन्स स्प्रेयर, 2. मोटोराइज नेपसेक स्प्रेयर (मिस्ट विलोवर) 3. कपास/अरण्डी/अरहर स्टाक स्लेसर, 4. लीलीपुट जिन (कपास की जिनिंग हेतु)

- ट्रेक्टर चलित यंत्र :– 1. ट्रेक्टर चलित एम.बी. प्लाउ 2. ट्रेक्टर चलित रोटोवेटर, 3. सी.आई.ए.ई. ट्रेक्टर चलित न्यूमेटिक कॉटन प्लांटर 4. ट्रेक्टर चलित कल्टीवेटर, 5. ट्रेक्टर चलित एरो ब्लास्ट स्प्रेयर, 6. कॉटन स्टॅाक पुलर/अपरूटर (हल) 7. कॉटन स्टाक पुलर/अपरूटर (व्हील टाइप), 8. ट्रेक्टर चलित रोटो स्लेशर

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन में लगने वाले आदानों की व्यवस्था उप संचालक कृषि करेगें।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन कृषि विकास अधिकारी की देखरेख में आयोजित किया जावेगे।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन का लेखा जोखा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संधारित करेगें।

- कृषि विकास अधिकारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पडोसी ग्राम के कृषकों को अग्रपंक्ति प्रदर्शन प्लाट का अवलोकन करावेगें।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन प्लाट का अवलोकन जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को करायेगें तथा उनके विचार पंजी में अंकित करेगें।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन प्लाट के बगल में नियंत्रण (कंट्रोल) प्लाट तुलना हेतु रखा जावे।

- अग्रपंक्ति प्रदर्शन एवं कंट्रोल प्लांट के परिणाम विकास खण्ड स्तर पर संकलित कर जिलों को भेजेगें। उप संचालक कृषि परिणामों का संकलन कर संचालक कृषि को प्रेषित करेगें।

अनुदान/सहायता परिशिष्ट–1 में दर्शित है।

8.9 प्रजनक बीज की आपूर्ति

- बीज उत्पादन की चेन को सुद्रण करने के लिए राज्य बीज निगम, पंजीकृत बीज उत्पादक संगठन को राज्य सरकार के माध्यम से तथा एन.एस.सी., एस.एफ.सी.आई. तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों को किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्रजनक बीज खरीदी के देयको की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
- आर्थिक सहायता केवल 15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों/संकर पर देय होगी।
- इन्डेन्ट अनुसार प्रजनक बीज की कुल कीमत की प्रतिपूर्ति उक्त संस्था को की जावेगी।
- निजी संस्थाओं को 15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मे/संकर के पेरेन्ट्स भी आर्थिक सहायता के योग्य होगे।
- आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट–एक मे दर्शित है।

8.10 आधार बीज उत्पादन

- राज्य बीज निगम, बीज उत्पादन सहकारी संस्थाओं/एसोसिएशन के माध्यम से आर्थिक सहायता देय होगी।
- आर्थिक सहायता केवल 15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मो/संकर पर ही देय होगी।
- आधार बीज की पूर्ण मात्रा पुनः उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रदाय करने पर आर्थिक सहायता के योग्य होगी।
- बीज उत्पादक संस्था राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रमाण पत्र के साथ भुगतान हेतु देयक विभाग को प्रस्तुत करेंगी।

- आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट– एक मे दर्शित है।

8.11 प्रमाणित बीज उत्पादन

- आर्थिक सहायता 15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मो/संकर पर ही देय होगी।
- केवल कृषकों को वितरित मात्रा पर ही आर्थिक सहायता देय होगी।
- बीज उत्पादक संस्थाएं राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रमाण पत्र के साथ विभाग को प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत करेंगी।
- आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट– एक मे दर्शित है।

8.12 प्रमाणित बीज वितरण

8.12.1 हितग्राही चयन एवं अनुमोदन

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे हितग्राही कृषकों का चयन करेगें जो कार्यक्रम में निर्धारित फसल का बीज लेना चाहते हो तथा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहमत हो।
- पूर्व वर्ष मे ंउसी फसल/किस्म के हितग्राही कृषकों के चयन के स्थान पर नये कृषकों को सम्मिलित करने को प्राथमिकता दी जावे।
- कृषकों के चयन में यह ध्यान रखा जावे कि अधिक से अधिक कृषक लाभान्वित हो।
- कृषकों के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त चयनित कृषकों की सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त करेगें।
- अनुमोदित सूची की प्रति उप संचालक कृषि को उपलबध करायी जावे।

8.12.2 क्रियान्वयन

- बीज की नई किस्में (संकर अथवा गैर संकर जाति) जो 15 वर्ष के अंदर की अधिसूचित हो, उन पर ही अनुदान देय होगा।

- उप संचालक कृषि जिले में बीज की व्यवस्था म0प्र0राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राष्ट्रीय बीज निगम एवं स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इंडिया एवं बीज उत्पादक सहकारी समिति के माध्य से करेगे।

- किस्मवार बीजो का भंडारण समितियों में कराया जावे।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अनुमोदित सूची समिति को उपलब्ध कराकर तदानुसार बीज का वितरण होना सुनिश्चित करेगें।

- संबंधित समिति कृषक अंश/ ऋण साख प्राप्त होने के सात दिन के अंदर अनिवार्य रूप से बीज उपलब्ध करायेगी।
- समिति कृषकों को बीज वितरण कर निर्धारित प्रपत्र में बीज वितरण का विवरण कृषक हस्ताक्षर सहित स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगी।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इस सूची को जिले के उप संचालक कृषि को शीध्रातिशीध्र भेजगें।

- इस कृषक सूची के आधार पर जिले के उप संचालक कृषि, केन्द्रीय सहकारी बैंक को सूचित करते हुए संबंधित संस्थाओं को भुगतान सुनिश्चित करेगें।

- यदि किसी समिति में बीज अवितरित रहता है तो उसे संबंधित संस्था वापस उठायेगी। ऐसी बीज मात्रा पर अनुदान/ सहायता देय नहीं होगी।

- अनुदान/सहायता का विवरण परिशिष्ट–एक मे ंदर्शित है।

8.13 सीड डिलिंटिंग प्लाट की स्थापना

- डिलिंटिंग प्लाट की स्थापना राज्य बीज निगम, पंजीकृत बीज उत्पादन समिति, सहकारी जिनिंग इकाईयों एवं निजी संस्थाओं द्वारा किया जाना है, ताकि कृषको को उत्तम गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो सके।

- कृषक अपने उपयोग के बीज का प्रसंस्करण करा सकेंगे।

- प्लांट शून्य प्रदूषक मानक पर्यावरणीय साथी प्लांट जो आटोमेटिक गैस उपयोग आधारित हो।

- संयंत्र के मुख्य अवयव आइ.एस.आई. मार्क के होना चाहिए।

- गैसे उत्पादन इकाई की स्थापना भी संयंत्र के साथ होना चाहिए।

- डिलिंटिंग प्लाट की स्थापना के उपरांत आर्थिक सहायता देय होगी।

- आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट–एक परदर्शित है।

8.14 फैसीलिटेटर हेतु सीजन लॉंग प्रशिक्षण (टी.ओ.एफ.)

- यह प्रशिक्षण बीज बुवाई से कटाई तक का प्रशिक्षण है जो 120 कार्य दिवस का होगा।

- प्रशिक्षण के दौरान 2–3 छोटे ब्रेक होंगे।

- यह प्रशिक्षण पूर्ण आवासीय होगा।

- प्रशिक्षण केन्द्र मे अच्छा क्लास रूप, आवागमन की सुविधायुक्त तथा छात्रावास सुविधा उपलब्ध होना चाहिए।

- प्रशिक्षण की सुविधा के साथ दो हेक्टर सिंचित क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें कपास उत्पादन की सुविधा हो।

- टी.ओ.एफ. छै फैसीलिटेटर द्वारा जिले के को–आर्डीनेटर (उप संचालक कृषि) के मार्गदर्शन में होगा, प्रत्येक प्रशिक्षण मे 30 प्रशिक्षणार्थी होंगे।

- प्रशिक्षणार्थियों का चयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, एन.जी.ओ., के.व्ही.के., एग्रीविजनिश/ एग्री क्लीनिक, बीज उत्पादक एसोसिएशन, सहकारिता, आदान प्रदायक, कृषि विश्वविद्यालय स्टाफ, आदि से किया जावे।

- प्रशिक्षणार्थियों के चयन मे ध्यान रखा जावे कि यह नवयुवक व उत्साही हो।

- कृषि स्नातक को प्राथमिकता दी जावे।

- प्रशिक्षण पूर्णरूपेण खेत आधारित, समन्वित, खोज आधारित, करके सीखना तथा अनौपचारिक शिक्षा आधारित होना चाहिए।

- टी.ओ.एफ. मे फसल प्रबंधन के समस्त आधारो को सम्मिलित किया जाये।

- एक टी.ओ.एफ. के आयोजन हेतु राशि रू. 10.00 लाख का प्रावधान है जो आइटम वार निम्नानुसार है :–

क्र.	**विवरण**	**राशि (रू.)**
1.	तकनीकी कोआर्डीनेटर हेतु मानेदय रू. 250.00 की दर से 120 कार्य दिवस के लिए एक कोआर्डीनेटर की दर से	30000.00
2	6 फैसीलिटेटर हेतु मानदेय 150.00 की दर से 6 फैसीलिटेटर हेतु 120 कार्य दिवस के लिए	108000.00
3.	प्रशिक्षको के लिए जेब खर्च रू. 50.00 की दर से 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु 120 कार्य दिवस के लिए	180000.00
4.	सहायक स्टाफ के भुगतान हेतु रू. 80.00 की दर से 2 सहायको हेतु 120 कार्य दिवस के लिए	19200.00
5.	छात्रावास व्यय रू. 40.00 की दर से 30 प्रशिक्षणार्थियों के लिए 120 कार्य दिवस के लिए	144000.00
6.	फील्ड चार्जेस 2 हेक्टर के लिए रू. 15000.00 की दर से	30000.00
7.	भोजन व्यवस्था रू. 75.00 की दर से 40 लोगो हेतु 120 कार्य दिवस के लिए	360000.00
8.	पी.ओ.एल, किराया एवं माइनर रिपेयरिंग चार्जेस	50000.00
9.	प्रशिक्षण सहित्य	20000.00
10.	विशेष टापिक हेतु मेहमान को मानदेय रू. 400.00 की	8000.00

क्र.	विवरण	राशि (रू.)
	दर से 20 टापिक्स हेतु	
11	फील्ड ओरियन्टेशन कार्यक्रम हेतु रू. 15000.00 की दर से दो के लिए	30000.00
12.	प्रशिक्षणार्थियों के लिए अध्ययन भ्रमण	8000.00
13	अन्य आकस्मिक व्यय	12800.00
	योग	**1000000.00**

8.15 राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण

- उक्त प्रशिक्षण 30 प्रसार कार्यकर्त्ताओं के लिये दो दिवसीय होगा।
- यदि कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अग्रिम राशि लेने हेतु सहमत होते है तो प्राथमिकता के आधार पर राशि आहरित कर संबंधित संस्थान को अग्रिम देवे अन्यथा स्वयं आयोजित करेगें।
- प्रशिक्षण देने हेतु अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा अशासकीय संस्था के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जावे।
- उप संचालक कृषि प्रशिक्षण हेतु राशि प्रशिक्षण संस्थान को अग्रिम स्वरूप देंगे अथवा स्वंय व्यय करेगें।
- प्रशिक्षण संस्थान, प्राप्त राशि का व्यय निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रशिक्षण पर करेगी तथा व्यय का लेखा जोखा उप संचालक कृषि को प्रेषित करेगी।
- अनुदान एवं सहायता का विवरण परिशिष्ट–एक पर दर्शित है।

8.16 बायो एजेन्ट उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण

- कपास की फसल मे एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन हेतु उपयोग होने वाले विभिन्न उत्पाद प्राथमिक आवश्यकता है।

- बायो एजेन्ट उत्पादन प्रयोगशाला क्षमता कम से कम 10000 हेक्टर क्षेत्र के लिए बायो एजेन्ट उत्पादन के लिए सक्षम हो।

- योजनान्तर्गत स्टाफ के वेतन एवं अनुवर्ती व्यय हेतु कोई राशि देय नहीं होगी।

- प्रयोगशाला मे उन्ही उपकरणों का क्रय किया जावे जो निदेशक,पौध संरक्षण, क्वरेन्टाइन एवं भण्डारण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार फरीदाबाद द्वारा अनुशंसित है।
- अनुशंसित उपकरणें का सूची परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

- बायो एजेन्ट उत्पादन प्रयोग शाला तीन क्षेत्रों मे स्थापित की जा सकती है ।

(i) शासकीय क्षेत्र

- उपलब्ध भवन को प्रयोगशाला मे बदलने/मरम्मत कर उपकरणों की स्थापना कर बायो एजेन्ट का उत्पादन करना।

- राज्य शासन यदि चाहे तो निजी संस्थानो को सुसज्जित इकाई को लीज पर दिया जा सकता है। बशर्ते निजी संस्था रिपूटिड हो एवं परफार्रमेंन्स अच्छा हो।

(ii) अर्द्धशासकीय क्षेत्रः–

- अर्द्धशासकीय संस्थाएं जैसे– आई.सी.ए.आर., एस.ए.यू., के.व्ही.के., पंजीकृत सहकारी संस्थाए पात्र होगी।

- अर्द्धशासकीय संस्थाओं को अपने प्रस्ताव राज्य शासन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

(iii) निजी संस्थाएः–

- निजी संस्थाओं के साथ–साथ एन.जी.ओ. को बायो एजेन्ट प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सम्मिलित किया जा सकता है।

- बायो एजेन्ट प्रयोगशाला मे लगने वाले उपकरण एवं सहायक सामग्री के स्थापना के उपरांत आर्थिक सहायता देय होगी।

- संस्था को भुगतान इकाई पूर्ण होने पर बैंक के माध्यम से देय होगी।

- प्रयोगशाला का मूल्यांकन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जावेगा।

- अनुदान/ आर्थिक सहायता परिशिष्ट–1 पर दर्शित है।

8.17 कीट व्याधि सर्वेक्षण

कपास फसल कई प्रकार के कीट एवं व्याधियों से ग्रसित होती है इनके प्रभावी नियंत्रण हेतु समय पर नियमित सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। कीट व्याधियों के प्रकोप की जानकारी विलंब से मिलने पर कृषकों को प्रभावी नियंत्रण हेतु सिफारिशे भी विलंब से प्राप्त होती है।

योजना अंतर्गत कीट व्याधि सर्वेक्षण हेतु स्काउट नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

8.17.1 कार्यक्षेत्र

समस्त कपास उत्पादक जिले

8.17.2 स्काउट का चयन

- एकीकृत नाशी जीव प्रबंध के अंतर्गत प्रशिक्षित कृषकों का चयन किया जावे।

- एक स्काउट को एक गांव अथवा कुछ गांवों का समूह बनाकर नियुक्त किया जावे।

- गांव में उपलब्ध कृषि स्नातक का भी चयन किया जा सकता है।

- स्वंय सेवी संस्थाओं को यह कार्य सौंपा जा सकता है।

- ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति से स्काउट के नाम का अनुमोदन प्राप्त किया जावे।

- जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति ग्राम सभा से प्राप्त अनुमोदित सूची के अनुसार प्रत्येक गांव अथवा कुछ गांवो के समूह के लिये एक स्काउट का अनुमोदन करेगी।

- जनपद पंचायत अनुमोदित सूची जिला पंचायत एवं उप संचालक कृषि को प्रेषित करेगे।

8.17.3 क्रियान्वयन

- फसल की प्रारम्भिक अवस्था मे एक एकड मे रेण्डम पद्धति से 20 पौधो का चयन करेंगे।

- चयनित पौधो पर साप्ताहिक स्काउटिंग की जाना चाहिए।

- कीट व्याधि सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन के आधार पर जिला स्तर पर पौध संरक्षण के निर्णय एवं नियंत्रण के उपाय करेंगे।

- अनुदान/आर्थिक सहायता परिशिष्ट–1 पर दर्शित है।

8.18 इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया आदि

- इस घटक मे साहित्य तैयार करना, कंसलटेंसी सेवाए, इवेल्यूशन/विशेष अध्यन, कार्यशाला, सेमीनार आदि ।

- कपास पर दृश्य/श्रव्य सामग्री, सर्वेक्षण के उद्देश्य के साफ्टवेयर तैयार करना एवं आवश्यक मूल्यांकन/राज्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन करना।

- सेमीनार/कार्यशाला आदि का आयोजन निदेशक कपास विकास निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- अनुदान/ आर्थिक सहायता परिशिष्ट–1 पर दर्शित है।

8.19 न्यू इन्टरमेन्सस

- कपास उत्पादन वृद्धि हेतु अन्तरवर्ती फसल का बीज, बी.टी. डिटेक्सन किट, बायो फार्टिलाइजर, हरी खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट,, वाटर पोण्ड, स्माल सीड जिन, कृषकों द्वारा स्वंय के उपयोग हेतु बीज उत्पादन आदि आवश्यक है किन्तु मिनीमिशन–2 मे समाहित नहीं है।

- स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप न्यू इन्टरभेन्सस के अंतर्गत घटक प्रस्तावित किये जावे।

- न्यू इन्टरभेन्सस के अंतर्गत प्रस्तावित घटक अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना मे नहीं होना चाहिए।

- अनुदान/आर्थिक सहायता लागत का 25 : तक देय होगी।

8.20 नैमेत्तिक व्यय/राज्य स्तर का स्टाफ

इस घटक मे व्यय निम्न मदो मे किया जावेः–

- योजना का क्रियान्वयन/मूल्यांकन/सर्वेक्षण एवं मुख्यालय के स्टाफ के वेतन/भत्ते।

- सालमोट पर होने वाला व्यय।
- कृषक भ्रमण जिसमें 20–25 कृषक व 3–4 विस्तार कार्यकर्त्ताओं के राज्य के अन्दर एवं बाहर का भ्रमण।

- यात्रा भत्ता, पी.ओ.एल. चर्जेस, वाहन का किराया एवं रखरखाव, प्रशिक्षण सामग्री जैसे स्लाईड/ ओवरहेड प्रोजेक्टर अन्य आकस्मिक व्यय जो फील्ड स्टाफ के आने जाने हेतु आवश्यक हो।

- कीट व्याधि के प्रकोप के समय फील्ड आफीसर के पास टेलीफोन ना होने की स्थिति मे वरिष्ठालय को सूचित करने हेतु टेलीफोन/फैक्स आदि पर किया जाने वाला व्यय

- आर्थिक सहायता परिशिष्ट– 1 पर संलग्न है।

9. निरीक्षण का अनुश्रवण

- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रदर्शनों संबंधी संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रदर्शन पंजी में रखेंगे।

- कृषि विकास अधिकारी अपने क्षेत्र मे भ्रमण के दौरान समस्त प्रदर्शन प्रक्षेत्रों का अवलोकन करेंगे तथा अपनी टीप पंजी में अंकित करेंगे।

- अनुविभाग स्तर के विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी समय–समय पर प्रदर्शनों का निरीक्षण करेगे तथा अपनी टीप अवलोकन पंजी में दर्ज करेंगे। मूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भी निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन उप संचालक कृषि को भेजेंगे।

- उप संचालक कृषि प्रदर्शन के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की जानकारी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभागएवं जिला पंचायत को उपलब्ध करायेगें।

- उप संचालक कृषि जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा मनोनीत सदस्य के साथ प्रदर्शनो का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।

- अनुविभागीय कृषि अधिकारी/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति के मनोनीत सदस्य के साथ प्रदर्शनो का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।

- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आसपास के कृषकों को प्रदर्शनो का अवलोकन करायेंगे तथा स्थल पर ही तकनीकी जानकारी देंगे।

- पौध संरक्षण यंत्रों के वितरण उपरांत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ यंत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे, भ्रमण के दौरान पौध संरक्षण यंत्रों के उपयोग में ली जाने वाली सावधानियों से भी कृषकों का अवगत करायेंगे।

- जैविक नियंत्रण के अंतर्गत फरोमेन ट्रेप, बायो एजेन्ट प्रदर्शन आयोजन स्थल का भ्रमण कृषकों को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी करायेगें तथा जैविक नियंत्रण की उपयोगिता पर तकनीकी जानकारी देंगे।

- निरीक्षण (भ्रमण) के समय प्राप्त तकनीकी एवं प्रशासनिक कृषि समस्याओं का निराकरण भ्रमण करने वाले अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में करेगें। अपने अधिकार क्षेत्र से परे की समस्याओं के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

- गाँव की ग्राम सभा की कृषि स्थायी समिति के सदस्य गाँवो मे योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों के यहां प्रक्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा गाँव के अन्य कृषकों का अवलोकन करायेगे।

10 भौतिक सत्यापन

विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन उपरांत भौतिक सत्यापन का उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा ।

- उप संचालक कृषि – 5 :
- जिला स्तरीय विषय वस्तु विशेषज्ञ– 25 :
- अनुविभागीय कृषि अधिकारी या – 25 :
  अनुविभाग स्तरीय विषय वस्तु विशेषज्ञ
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी – 50 :
- कृषि विकास अधिकारी – 100:
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी – 100:

11 व्यय

- संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रापत आवंटन का उपयोग करने हेतु अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की जाती है।

- समस्त घटकों पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यानुसार व्यय 31 जनवरी तक सुनिश्चित किया जावे।

- आवंटन के अनुरूप व्यय शेष रहने की स्थिति में भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अन्य जिलो को आवंटित करने हेतु संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग स्वतंत्र होगे।

- उप संचालक कृषि नियमित रूप से कार्यक्रम का घटकवार प्रगति प्रतिवेदन एवं मासिक व्यय पत्रक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित करेगे।

12 समयबद्ध कार्यक्रम (कट आफ डेट्स)

परिशिष्ट 3 मे दर्शित है।

कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं उप संचालक कृषि योजना मे दिये मार्गदर्शी निर्देशो के अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कृपया समय पर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(प्रवेश शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ0क्र. बी–1–5/2007/14–2/ भोपाल, दिनांक .2007

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म0प्र0शासन, भोपाल।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव म0प्र0शासन, भोपाल।
4. अध्यक्ष, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त म0प्र0शासन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, म0प्र0शासन, भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश (समस्त)
8. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल।

9. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मार्यादित भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सकहारी विपणन संघ, भोपाल।
12. संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, गौतम नगर, आफिस काम्पलेक्स भोपाल।
14. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म0प्र0भोपाल
15. संचालक, अनुसंधान/ विस्तार सेवाऐं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर म0प्र0।
16. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय (समस्त) म0प्र0
17. संपादक, पंचायिका, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल।
18. अपर संचालक कृषि/संयुक्त संचालक कृषि/ उप संचालक कृषि/ सहायक संचालक कृषि (समस्त) संचालनालयीन।
19. प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र ————————(समस्त)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट–1

कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनीमिशन–2 के घटक एवं देय आर्थिक सहायता राशि वर्ष 2005–06 एवं 2006–07

क्र.	घटक का नाम	पैटर्न आफँ असिसेंटन्स	पेटर्न आफँ शयरिंग	लाभार्थी
1.	**बीज**			
1.1	प्रजनक बीज आपूर्ति	15 वर्ष अंदर अधिसूचित किस्मों की पूर्ण राशि का	75:25	बीज उत्पादन संस्थान, बीज उत्पादक संगठन

क्र.	घटक का नाम	पैटर्न आफँ असिसेंटन्स	पेटर्न आफँ शयरिंग	लाभार्थी
		भुगतान		आदि
1.2	आधार बीज उत्पादन	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 50/– प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रतिपूर्ति	100:00	बीज उत्पादन संस्थान, बीज उत्पादक संगठन, सहकारिता आदि
1.3	प्रमाणित बीज उत्पादन	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.15/– प्रति किलोग्राम	100:00	बीज उत्पादन संस्थान, बीज उत्पादक संगठन, सहकारिता आदि
1.4	प्रमाणित बीज वितरण	कीमत का 25 प्रतिशत तथा ई.एल.एस. कपास के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत	75:25	कृषक
1.5	न्यूकिलियस एवं प्रजनक बीज का संधारण (मेन्टनेन्स)	पूरी कीमत अधिकतम रू. 6.00 लाख प्रति केन्द्र	100:00	आई.सी.ए.आर./ एस.ए.यू.
1.6	सीड डिलिंटिंग प्लाट की स्थापना	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 40.00 लाख मध्यम आकार हेतु छोटो के लिए प्रोरेट आधार पर तैयार होने के उपरांत आर्थिक सहायता देय	75:25	बीज उत्पादन संस्थान,, सहकारिता/निजी क्षेत्र
2.	**पौध संरक्षण**			
2.1	कृषक खेत पाठशाला	रू. 17000.00 प्रति पाठशाला (30 कृषको के लिए एक मौसम के प्रशिक्षण हेतु)	75:25	कृषक
2.2	फैसीलिटेटर हेतु सीजन लौंग प्रशिक्षण	रू. 10.00 लाख प्रति टी.ओ.एफ. क लिए प्रशिक्षण अवधि 6 माह	100:00	फैसीलिटेटर
2.3	इनसेक्टी साइड रजिस्टेन्स प्रबंधन	पूरी लागत अधिकतम रू. 5.20 लाख प्रति जिला	100:00	आई.सी.ए.आर./ एस.ए.यू.
2.4	रसायनो से बीजोपचार	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 40.00 प्रति कि.ग्रा.	75:25	कृषक
2.5	राज्य शासन द्वारा बायोएजेन्ट लेब की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 40.00 लाख नये लेब हेतु एवं	75:25	राज्य कृषि विभाग

क्र.	घटक का नाम	पैटर्न आफँ असिसेंटन्स	पेटर्न आफँ शयरिंग	लाभार्थी
		रू. 20.00 लाख लेब के सुदृढ़ीकरण हेतु (स्माल यूनिट ऑन प्रोरेटा के आधार पर)		
2.6	आई.सी.ए.आर./ एस.ए.यू. /के.व्ही.के./ सहकारिता द्वारा बायोएजेन्ट लेब की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 40.00 लाख नये लेब एवं रू. 20.00 लाख लेब के सुदृढ़ीकरण हेतु (स्माल यूनिट ऑन प्रोरेटा के आधार पर)100:00	100:00	आई.सी.ए.आर./ एस.ए.यू./के.व्ही.के. सहकारित
2.7	निजी क्षेत्र मे बायोएजेन्ट लेब स्थापना/ सुदृढ़ीकरण	लेब के उपकरणों की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 20.00 लाख अनुदान उपकरणों की स्थापना के उपरांत देय	50:50	निजी क्षेत्र
2.8	कीट व्याधि सर्वेक्षण एवं मूल्याकन	रू. 1.00 लाख प्रति मुख्य कपास उत्पादक जिला	75:25	राज्य कृषि विभाग
2.9	फैरोमोन/ लाइट ट्रेप्स का वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 300.00 प्रति हेक्टर	75:25	कृषक
2.10	बायो एजेन्ट/ बायो पेस्टी साइड की आपूति	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 900/— प्रति हेक्टर	75:25	कृषक
2.11	स्प्रेयर की आपूर्ति	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 800/— हस्तचलित रू. 2000/— शक्ति चलित एवं रू. 10000/— ट्रेक्टर चलित	75:25	कृषक
3.	**वाटर सेविंग डिवायसेस**			
3.1	स्प्रिंकलर सेट्स	अ.जा./जन.जाति/लघु /सीमान्त/ महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 5500/— प्रति हे. तथा अन्य कृषकों को	75:25	कृषक

क्र.	घटक का नाम	पैटर्न आफँ असिसेंटन्स	पेटर्न आफँ शयरिंग	लाभार्थी
		कीमत का 33 प्रतिशत अधिकतम रू. 3630/— प्रति हेक्टर		
3.2	टपक सिंचाई	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 25000/— प्रति है. किन्तु वाटरशेड क्षेत्र के लिए कीमत का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 30000/— प्रति है	75:25	कृषक
4.	**मानव संसाधन विकास**			
4.1	विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए राज्य स्तरीय प्रतिशत	विस्तार कार्यकर्त्ता डीलर्स, एन.जी.ओ. जिनर्स आदि के 2 दिवसीय 30 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू. 15000/— प्रति हेक्टर	75:25	विस्तार कार्यकर्त्ता, डीलर्स, एन.जी.ओ., जिनर्स आदि
4.2	राष्ट्रस्तरीय प्रशिक्षको को प्रशिक्षण	30 प्रशिक्षर्णार्थियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू. 40000/— प्रति प्रशिक्षण	75:25	मास्टर ट्रेनर
5.	**अग्रपंक्ति प्रदर्शन**			
5.1	उत्पादन प्रोद्योगिकी पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन	रू. 2000/— प्रति 0.4 हेक्टर	100:00	आई.सी.ए.आर/एस.ए.यू./एनजी.ओ./के.व्ही.के./सी.सी.आई/उद्योग/सहकारिता
5.2	कृषि उपकरण/यंत्रों पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन	यंत्र की पूरी कीमत अधिकतम रू. 1.00 लाख प्रति प्रदर्शन प्रति केन्द्र मय रू. 5000/— प्रदर्शन आयोजन हेतु	75:25	राज्य कृषि विभाग
5.3	आई.पी.एम. प्रोद्योगिकी पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन	पूरे गांव या 50 हेक्टर हेतु रू. 1.00 लाख प्रति प्रदर्शन तथा आवश्यक होने पर कम से कम 10 हे. क्षेत्र प्रोरेटा के आधार	100:00	आई.सी.ए.आर/ एस.ए.यू./ एनजी.ओ./के.व्ही.के./ सी.सी.आई/ सहकारिता

क्र.	घटक का नाम	पैटर्न आफँ असिसेंटन्स	पेटर्न आफँ शयरिंग	लाभार्थी
		पर		
6.	**अन्य घटक**			
6.1	नैमेत्तिक / मुख्यालय पर स्टाफ	रू. 1.00 लाख प्रति कपास उत्पादक जिला मय राज्य के मुख्यालय के स्टाफ सहित	75:25	राज्य कृषि विभाग
6.2	अन्य के लिए नैमेत्तिक व्यय	कुल आवंटन का 10 प्रतिशत मय अन्य घटको मे उपलब्ध नैमेत्तिक व्यय	100:00	सहकारिता / सी.सी. आई. / एनजी.ओ. / के. व्ही.के. / उद्योग / कृषक संगठन
6.3	इलैक्ट्रानिक / प्रिंट मीडिया / आई.टी. / मास मीडिया सपोर्टिंग कार्यशाला, विदेश भ्रमण,कपास विकास निदेशालय का सुदृढ़ीकरण / फसल प्रभाग एवं अन्य नैमेत्कि व्यय	वास्तविक के आधार पर	100:00	राज्य शासन, एन.जी. ओ., फसल प्रभाग एवं कपास विकास निर्देशालय के डी.ए.सी, सहकारित कृषक संगठन आदि
6.4	न्यू इन्टभेंनसंस	राज्य शासन की विशेष आवश्यकतानुसार अधिकतम कुल आवंटित राशि का 10प्रतिशत तक कृषको को अधिकतम 25 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देय	75:25	कृषक / अन्य

परिशिष्ट–2

समयबद्ध कार्यक्रम (कट आफ डेटस)

खरीफ

1.	संचालक कृषि द्वारा जिलावार लक्ष्यों का निर्धारण	फरवरी
2.	उप संचालक कृषि द्वारा प्राप्त लक्ष्यों का विकास खण्डवार निर्धारण, जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन एवं लक्ष्यों को व.कृ.वि.अ. को भेजना	15 मार्च
3.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी स्तर पर लक्ष्यों का निर्धारण जनपद पंचायत कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन एवं लक्ष्यों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को सूचित करना	31 मार्च
4.	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा ग्राम सभावार लक्ष्यों का विभाजन कृषकों का चयन एवं ग्रामसभा से अनुमोदन उपरांत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं आदान संबंधी मांग प्रस्तुत करना।	15 अप्रैल
5.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा कृषक चयन सूची एवं आदान संबंधी मांग पर जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से अंतिम अनुमोदन लेना एवं उप संचालक कृषि/ जिला पंचायत को सूचित करना।	30 अप्रैल
6.	उप संचालक कृषि द्वारा कृषि आदानों की व्यवस्था विकासखण्ड स्तर तक करना	15 मई
7.	पौधसंरक्षण यंत्र/ ड्रिप (टपक) सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सेट वितरण कार्यक्रम के लिये प्रति माह की प्रगति दिये लक्ष्यों के अनुपात में पूर्ति की जाना आवश्यक है।	सितम्बर
8.	प्रशिक्षण	मई

परिशिष्ट–3

समयबद्ध कार्यक्रम (कट आफ डेटस)

मिनिमिशन प्प्दक के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

		खरीफ
1.	संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण	15 फरवरी
2.	उप संचालक कृषि द्वारा प्राप्त लक्ष्यों का विकासखण्डवार निर्धारण जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन एवं लक्ष्यों को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजना	15 मार्च
3.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन एवं लक्ष्यों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को देना	31 मार्च
4.	लक्ष्यानुसार ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा कृषकों का चयन एवं सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं आदान संबंधी मांग प्रस्तुत करना।	15 अप्रेल
5.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा कृषक चयन सूची का एवं आदान संबंधी मांग जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समीति से अनुमोदन लेना एवं उप संचालक कृषि/ जिला पंचायत को सूचित करना	30 अप्रैल
6.	उप संचालक कृषि द्वारा कृषि आदानो की व्यवस्था विकासखण्ड स्तर तक करना	15 मई
7	अग्रपंक्ति प्रदर्शन आयोजन	31 जुलाई
8	प्रसार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण	15 जुलाई

परिशिष्ट–4

बायो एजेन्ट उत्पादन प्रयोगशाला

अनुशंसित उपकरणें का सूची

S.No.	Item/Equipment	No.	Cost (Rs./Unit)	Amount (Rs.)
1.	Heat converter	20	2000	40000
2.	Air conditioner with cooling and heating arrangements with 4 KVA stabilizers.	8	50000	400000
3.	Refrigerator 300 ltrs. Capacity with 1 KVA stabilizer.	2	20000	40000
4.	Hot air oven	2	4000	80000
5.	BOD Incubator with temp, Humidity and photo period provision with 1 KVA stabilizer.	2	80000	160000
6.	Centrifuge	2	8000	16000
7.	Laminar flow station	1	24000	24000
8.	Autoclave Cortical	1	20000	20000
9.	Semi-automatic Coreyra rearing system	100	5000	500000
10.	Steel Racks (7x3x18) (with 6 compartments)	20	1000	20000
11.	Crysopa Cages	20	1000	20000
12.	Laboratory tables	5	7000	5000
13.	Laboratory stools	20	250	4000
14.	Hygrometer (dial type)	10	400	4000
15.	Thermometer (dial type)	10	2000	4000
16.	Mixture-cum-grinder	2	200	10000
17.	Cictra egg laying cages	50	1500	10000
18.	UV chamber with UV tube light	2	1000	3000
19.	Exhaust fan	10	4000	10000
20.	Vaccum Cleaner	2	2000	8000
21.	Water Didtillation Unit	1	100000	2000
22.	Microscope (Research with accessories)	1	50000	100000
23.	Stereo Binocular Microscopic	1	35000	50000
24.	Top Loading Electronic Balance	1	-	35000
25.	Glassware (Petri Dishes, Jars, Flasks etc.)	-	-	50000
26.	Miscellaneous Lab Items.	-	-	350000
TOTAL				**2000000**